प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

07 अगस्त **2018**

2018 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 18 - संघ सरकार वाणिज्यिक, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 2018 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 18 – संघ सरकार, वाणिज्यिक, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में आज प्रस्तुत किया गया।

यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट 1984 में संशोधित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के अन्तर्गत तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में आठ अध्याय हैं। रिपोर्ट सीपीएसई द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति, कॉर्पोरेट अभिशासन और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर भारत का प्रतिभूति विनिमय बोर्ड और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, प्रशासनिक मंत्रालयों और सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापन के विश्लेषण, सीपीएसई के संयुक्त उद्यमों के संचालन, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के प्रावधानों के अनुपालन और चयनित सीपीएसई में भारतीय लेखाकरण मानकों के कार्यान्वयन के प्रभाव का विश्लेषण करती है। रिपोर्ट की कुछ प्रमुख विशेषताएं नीचे उजागर की गई हैं:

अध्याय-1 सीपीएसई का वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन कुल 636 सीपीएसई में से, 579 कंपनियों में 400 सरकारी कंपनियां, 06 संविधानिक निगम और 173 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया था।

इक्विटी और लाभांश की घोषणा पर रिटर्न

2016-17 के दौरान, कुल निवेश में 406 सरकारी कंपनियों और निगमों ने ₹ 40,992 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की जबकि 173 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों में कुल निवेश ₹ 4,320 करोड़ तक बढ़ गया।

212 सरकारी कंपनियों और निगमों ने वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹ 1,58,373 करोड़ का लाभ अर्जित किया जिनमें से 74.69 *प्रतिशत* (₹ 1,18,273 करोड़) अकेले 49 सीपीएसई द्वारा योगदान किया गया था जो पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट और उर्जा क्षेत्र से संबंधित थे। 2016-17 में इन लाभ अर्जित करने वाली सीपीएसई के मामले में इक्विटी (लाभप्रदता का एक माप) पर रिर्टन 13.78 प्रतिशत था। दूसरी तरफ, 119 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों ने वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 7, 666 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया था जहां 2016-17 में इक्विटी पर रिटर्न 4.81 प्रतिशत था।

वर्ष 2016-17 के लिए 111 सरकारी कंपनियों और निगमों ने ₹ 82,491 करोड़ की राशि का लाभांश घोषित किया। इसमें से, ₹ 47,226 करोड़ का भुगतान भारत सरकार को कर दिया गया/देय था जो सभी सरकारी कंपनियों और निगमों में भारत सरकार (₹ 3,24,270 करोड़) द्वारा कुल निवेश पर 14.57 *प्रतिशत* रिर्टन को दर्शाता है। दूसरी तरफ, 60 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों ने वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 1,495 करोड़ रुपये के लाभांश की घोषणा की, जो कि ₹ 11,472 करोड़ रुपये की अपनी प्रदत्त पूंजी का 13 प्रतिशत दर्शाती है। 2016-17 के लिए 20 सरकारी कंपनियों द्वारा लाभांश की घोषणा में सरकार के निर्देश के अननुपालन के परिणामस्वरूपम लाभांश के भुगतान में ₹ 5456.56 करोड़ की कमी हुई।

सीपीएसई को हुई हानियां

2016-17 के दौरान 157 सरकारी कंपनियों को ₹ 30,678 करोड़ की राशि का नुकसान हुआ। दूसरी ओर, 2016-17 के दौरान 41 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों को ₹ 4308 करोड़ की राशि का नुकसान हुआ।

निवल मूल्य का क्षरण

71 सरकारी कंपनियों में निवल संपत्ति उनकी संचित हानि द्वारा पूरी-तरह से नष्ट हो गयी। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2017 तक इन सीपीएसई की ₹ 71,935 करोड़ की समग्र निवल संपत्ति नकारात्मक हो गई। इन सीपीएसई में से 11 कंपनियां ऐसी थी जिन्होनें वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 2958 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

अध्याय - II सीएजी की निरीक्षण भूमिका

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) तथा (7) के अंतर्गत सरकारी कम्पनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के

लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। सीएजी को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी जारी करने या अनुपूरित करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित कर रही संविधियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा करने की आवश्यकता होती है तथा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

<u>वर्ष 2016-17 के लिए लेखाओं का समयानुसार प्रस्तुतिकरण</u>

31 मार्च 2017 तक, सीएजी की लेखापरीक्षा परिधि के अंतर्गत 630 सीपीएसई (सांविधिक निगमों को छोड़कर) थे। इनमें से, 625 सीपीएसई से वर्ष 2016-17 के लिए लेखा लंबित थे। 5 नवीन सीपीएसई के लेखा लंबित नहीं थे। 625 कंपनियों में से, जिनके लेखा लेखापरीक्षा के लिए लंबित थे, में से 30 सितम्बर 2017 तक या इससे पूर्व 544 सीपीएसई ने सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखा प्रस्तुत कर दिए थे। 81 सीपीएसई के लेखा विविध कारणों से बकाया थे।

छह सांविधिक निगमों नामत: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम तथा सेंट्रल वेयरहाउस कॉपोरेशन में से, जहां सीएजी लेखापरीक्षा करता है, 30 सितम्बर 2017 तक भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2016-17 के लेखा प्रतिक्षित थे।

<u>लेखाओं की लेखापरीक्षा</u>

544 लेखाओं में से, जो 30 सितम्बर 2017 तक या पूर्व प्राप्त हो चुके थे, सीएजी द्वारा 332 सीपीएसई के लेखाओं की समीक्षा की गई। कुल मिलाकर, सीएजी ने 61 प्रतिशत सीपीएसई, जिनके लेखा 30 सितम्बर 2017 तक प्राप्त हो चुके थे, की समीक्षा की। पांच सांविधिक निगमों के लेखा, जो उक्त तिथि तक प्राप्त हो चुके थे, की भी समीक्षा की गई।

<u>तीन चरण की लेखापरीक्षा</u>

सीपीएसई द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रभावशाली संवाद तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रबंधन तथा सीएजी के बीच एक समन्वय पद्धति स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 2008-09 से 'सूचीबद्ध', 'नवरत्न', 'मिनिरत्न' तथा 'सांविधिक निकायों' की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले चयनित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में, सीपीएसई के प्रबंधन

द्वारा वित्तीय विवरणों की स्वीकृति से पूर्व त्रुटियों, चूकों, अननुपालनों आदि की पहचान तथा चिन्हांकित करना और सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सीपीएसई के प्रबंधन को ऐसे मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए ऐसे मामलों की जांच करने हेतु अवसर प्रदान करने तथा सीपीएसई के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों की स्वीकृति के पश्चात सीएजी की लेखापरीक्षा में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से सीएजी ने वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए तीव्र, उन्नत, केंद्रीत तथा परिणाम उन्मुख तीन स्तर की लेखापरीक्षा नामक पद्धति प्रस्तुत की।

वर्ष 2016-17 के लिए सीपीएसई के वित्तीय विवरणों में तीन स्तर की लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मूल्य वर्धन, लाभप्रदता के संबंध में ₹ 16,248.55 करोड़ तथा परिसंपत्तियों/देनदारियों के संबंध ₹ 21391.15 करोड़ रहा।

<u>अनुपूरक लेखापरीक्षा का प्रभाव</u>

सीएजी द्वारा संचालित 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप 41 सीपीएसई के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट को संशोधित किया। इसके अतिरिक्त, इन सीपीएसई के लेखाओं पर विभिन्न महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी जारी की गईं।

अध्याय - III कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लोक उपक्रम विभाग/ भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के दिशानिर्देशों का, अनिवार्य होने के बावजूद भी, शेयर बाजार में सूचीबद्ध कुछ सीपीएसई द्वारा अनुपालन नहीं किया गया।

निर्धारित दिशानिर्देशों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अपसरण देखे गऐ:

- 37 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व समुचित नहीं था। 4 सीपीएसई के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। 9 सीपीएसई के निदेशक मंडल में कोई महिला निदेशक नहीं थी।
- 23 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशक के पद तथा 16 सीपीएसई में कार्यकारी निदेशक की रिक्तियां समय पर नहीं भरी गई।
- 3 सीपीएसई में व्हिसिल ब्लोअर तंत्र का अभाव था और 7 सीपीएसई में लेखापरीक्षा समितियों ने व्हिसिल ब्लोअर तंत्र की समीक्षा नहीं की।

अध्याय - IV कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 प्रावधानों सीएसआर नियमावली तथा लोक उपक्रम विभाग के कार्यालय ज्ञापनों के अनुपालन के लिए 24 मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन 77 सीपीएसई के सीएसआर व्यय की समीक्षा की गई।

15 सीपीएसई में सीएसआर समिति के गठन में विलम्ब पाया गया, लाभ अर्जित कर रही 13 सीपीएसई ने सीएसआर की निर्धारित राशि आबंटित नहीं की तथा 24 सीपीएसई ने अपने परिचालनों के लिए स्थानीय क्षेत्र का निर्धारण नहीं किया।

26 सीपीएसई द्वारा किये गऐ कुल व्यय में सीएसआर कार्यकलापों पर ₹ 75.61 करोड़, सीएसआर स्टाफ के वेतन पर ₹ 66.60 करोड़ की राशि व्यय की गई, जो कि अग्राह्य थी।

यह भी पाया गया कि अधिकतर सीपीएसई ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा छत्तीसगढ़ में अपेक्षाकृत अधिक व्यय किया जबकि पंजाब तथा पूर्वोत्तर राज्य जैसे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्कम में कम व्यय किया।

अध्याय - V प्रशासनिक मंत्रालयों तथा सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण

वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए 17 'नवरत्न' कंपनियों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की समीक्षा की गई और निम्नलिखित देखा गया:

- 8 सीपीएसई में, पिछले पांच वर्षों की वास्तविक उपलब्धियां निश्चित किऐ गऐ लक्ष्यों से कम थी।
- 3 सीपीएसई में मानदंडों को अनुपयुक्त मूल्यांकन पाया गया।
- 6 सीपीएसई द्वारा डीपीई दिशानिर्देशों में निर्देशित, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मानदंडों की बेंचमार्किंग नहीं की गई।
- 7 सीपीएसई में स्वतंत्र तथा महिला निदेशकों के पद रिक्त थें।
- डीपीई/प्रशासनिक मंत्रालयों को एमओयू प्रस्तुत करने में तथा 5 सीपीएसई के मामलों में अंतिम एमओयू हस्ताक्षरित करने में भी विलम्ब पाया गया।

अध्याय - VI सीपीएसई के संयुक्त उपक्रम परिचालन

महारत्न, नवरत्न एवं मिनिरत्न श्रेणी के रूप में श्रेणीगत सीपीएसई को लेखापरीक्षा में शामिल किया गया। लोक उपक्रम विभाग द्वारा महारत्न तथा मिनिरत्न के रूप में 98

सीपीएसई श्रेणीगत की गई है (मई 2017)। इनमें से, 46 सीपीएसई में कोई भी संयुक्त उपक्रम नहीं था और तद्नुसार, 52 सीपीएसई (7 महारत्न, 17 नवरत्न एवं 28 मिनीरत्न) को इस समीक्षा में शामिल किया गया था।

समीक्षा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की गईं।

- 251 निगमित संयुक्त उपक्रमों (जिसमें एक से अधिक सीपीएसई द्वारा गठित संयुक्त उपक्रम शामिल हैं) जहाँ सूचना उपलब्ध थी, में से सरकार के निर्देशों के अनुसार 84 संयुक्त उपक्रमों में संयुक्त उपक्रम भागीदार का चयन किया गया था, खुली निविदा के माध्यम से 19 संयुक्त उपक्रमों का, सीपीएसई द्वारा पहचाने गए कुछ भावी भागीदारों की पसंद के माध्यम से 75 संयुक्त उपक्रमों का, नामांकन के आधार पर 49 संयुक्त उपक्रमों और 24 मामलों में, सीपीएसई द्वारा पहले से मौजूद संयुक्त उपक्रमों में निवेश किया गया था।

(पैरा 6.7.1)

- डीपीई के दिशा-निर्देश के अनुसार, बोर्ड की बैठकों में कम से कम दो गैर-सरकारी निदेशकों की उपस्थिति अपेक्षित थी जहां संयुक्त उपक्रमों के गठन के मूल्यांकन पर विचार-विमर्श किया गया था। चार सीपीएसई में, इसका पालन नहीं किया गया था।

(पैरा 6.7.1.(i))

- तीन सीपीएसई के संबंध में, संयुक्त उपक्रमों के प्रबंधन एवं संचालन में सीपीएमई का प्रतिनिधित्व संयुक्त उपक्रम करार के अनुसार नहीं था।

(पैरा 6.7.1.(ii))

- महारत्न/नवरत्न सीपीएसई में से किसी ने भी अर्ध-वार्षिक आधार पर डीपीई को गठित संयुक्त उपक्रमों की विस्तृत सूची तथा उसकी स्थिति प्रस्तुत नहीं की थी।

(पैरा 6.7.2.)

- 158 निगमित संयुक्त उपक्रमों जिनकी सूचना प्राप्त हुई थी, में से 76 संयुक्त उपक्रम लाभ अर्जित कर रहे थे, 64 संयुक्त उपक्रम हानि उठा रहे थे, तथा 18 संयुक्त उपक्रमों ने केवल वर्ष 2016-17 में लाभ अर्जित किया है लेकिन संचित हानि हुई।

(पैरा 6.7.3.)

- इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, ने अपना संयुक्त उपक्रम अर्थात इंडियन ऑयल क्रेडा बायो-फ्यूल का गठन करते हुए डीपीई के दिशा निर्देशों के उल्लघंन में निदेशन मंडल की पूर्व-स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी। इसके अलावा बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रारंभिक अध्ययन नहीं किया गया था।

(पैरा 6.7.4)

- ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने अपनी विदेश में ई एवं पी परियोजनाओं के संबंध में, जहां निवेश ₹ 300 करोड़ से अधिक है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड से ₹ 11239.83 करोड़ के निवेश का अनुमोदन प्राप्त किया।

(पैरा 6.7.5.)

अध्याय - VII सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के प्रावधानों का अनुपालन

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के प्रावधानों के अनुपालन के अध्याय में वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के लिए विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 18 सूचीबद्ध सीपीएसई को शामिल किया गया था तथा निम्नलिखित अवलोकन किए गए थे।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि सीपीएसई को अपनी कुल खरीद का कम से कम 20 प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीदने की अनिवार्यता थी। 7 सीपीएसई ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से अपनी कुल खरीद का न्यूनतम 20 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया था।
- 9 सीपीएसई ने एमएसई से माल तथा सेवाओं की निर्दिष्ट प्रतिशतता खरीदने की नीति के अनुपालन की रिपोर्ट करते हुए अपनी खरीद की बहुत बड़ी मात्रा को छोड़ दिया।
- एमएसई को देय उल्लेखनीय बकाया 8 सीपीएसई में देखा गया था यद्यपि 45 दिनों के अन्दर भुगतान करना अनिवार्य था।
- 11 सीपीएसई ने नीति के खरीद वरीयता खण्ड के प्रावधानों का पालन किया था तथा इस खण्ड के प्रावधानों के अनुपालन से कुल 5553 मध्यम लघु उद्यमों को लाभ मिला।

- एमएसई से खरीद हेतु नामित मदों को 4 सीपीएसई द्वारा गैर-एमएसई से खरीदा गया था।
- 8 सीपीएसई ने अपनी वेबसाइट पर एमएसई से अपनी वार्षिक खरीद योजना अपलोड नहीं की थी। 5 सीपीएसई ने अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में एमएसई से लक्ष्यों और खरीद लक्ष्यों की प्राप्ति की सूचना नहीं दी थी।
- समझौता ज्ञापनों में दिये गये लक्ष्यों को प्राप्त न करने पर रेटिंग के अंकों में कटौती कर सीपीएसई को पदावनत करना नीतियों के गैर कार्यान्वयन के विरूद्ध प्रभावी निवारक सिद्ध नहीं हो पाया था।

अध्याय - VIII चयनित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) में भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन का प्रभाव

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एएस) को अधिसूचित किया जो वित्त वर्ष 2016-17 से चरणबद्ध तरीके से कम्पनियों पर लागू किए गए थे। 1 अप्रैल 2016 से अपने वित्तीय विवरणों को तैयार करने में भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने वाले 67 सीपीएसई के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को अध्याय में शामिल किया गया है। राजस्व पर भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन का प्रभाव, कर के बाद लाभ (पीएटी), निवल सम्पत्ति तथा सीपीएसई की कुल परिसंपत्तियों का आंकलन 31 मार्च 2016 को भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार आम तौर पर स्वीकृत भारतीय लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार मूल्यों की तुलना करके किया गया था।

- *भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने के परिणामस्वरूप, रक्षा क्षेत्र, अवसंरचना क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं नौवहन क्षेत्र के सीपीएसई के लाभ में वृद्धि (पीएटी) देखी गई थी, जबकि दूरसंचार क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, उर्वरक क्षेत्र, धातु क्षेत्र एवं खनन क्षेत्र के सीपीएसई के लाभ में गिरावट देखी गई।*
- समीक्षा की गई 67 सीपीएसई में से, 39 पीसीएसई के मामले में लाभ में वृद्धि हुई और 28 सीपीएसई के मामले में गिरावट दर्ज की गई थी।
- भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने के कारण शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के लाभ में उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई।
- 47 सीपीएसई ने राजस्व पर समायोजन किया जिसमें से 20 सीपीएसई में वृद्धि दर्ज हुई और 27 सीपीएसई के राजस्व में गिरावट दर्ज की गई।
- ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित सीपीएसई के राजस्व में अधिकतम वृद्धि देखी गई थी।

- 49 सीपीएसई ने कुल परिसंपत्तियों के मूल्यों पर समायोजन किया जिनमें से 29 सीपीएसई ने वृद्धि दर्ज की और 20 सीपीएसई की कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट दर्ज की गई।
- दूरसंचार क्षेत्र के सीपीएसई के मामले में कुल परिसपत्तियों के मूल्य में समग्र रूप से उच्चतम वृद्धि हुई और रक्षा क्षेत्र की सीपीएसई के मामले समग्र रूप से गिरावट दर्ज की गई।
- 66 सीपीएसई ने निवल परिसंपत्ति के मूल्य में समायोजन किया जिसमें से 46 सीपीएसई ने निवल परिसंपत्ति में वृद्धि दर्ज की और 20 सीपीएसई ने निवल परिसंपत्ति ने गिरावट दर्ज की।
- *दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित सीपीएसई के मामले में निवल परिसंपत्ति में अधिकतम वृद्धि देखी गई जबकि खनन क्षेत्र से जुडी हुई सीपीएसई के संबंध में निवल परिसंपत्ति में अधिकतम गिरावट देखी गई।*